न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–333/2025

प्रार्थीः–

झालाराम पुत्र पकाराम जाति रैबारी निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा (राजस्थान)

बनाम

विप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा, सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री हुकमसिंह, महावीर सिंह व दिनेश कुमार अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–14.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1878, 1869, 523, 510 1879 रकबा क्रमशः 0.0989, 1.0913, 0.9849, 1.1630, 1.1182 हैक्टेयर भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम ''सालाराम पुत्र पकाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''झालाराम पुत्र पकाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र,राशन कार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''झालाराम पुत्र पकाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के खसरा संख्या 1878, 1869, 523, 510 व 1879 रकबा क्रमशः 0.0989, 1.0913, 0.9849, 1.1630 व 1.1182 हैक्टेयर भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''सालाराम पुत्र पकाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''झालाराम पुत्र पकाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''सालाराम पुत्र पकाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''झालाराम पुत्र पकाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1878, 1869, 523, 510 व 1879 रकबा क्रमशः 0.0989, 1.0913, 0.9849, 1.1630 व 1.1182 हैक्टेयर भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''सालाराम पुत्र पकाराम'' के स्थान पर ''झालाराम उर्फ सालाराम पुत्र पकाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 [illegible]लास सुनाया गया।

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:10 IST
Reason: SelfAttested

(सु[illegible] सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)